प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.07.2026

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान के 01 शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः - दिनांक 07.07.2026 को वादी श्री मनोज गोस्वामी पुत्र श्री बृजभूषण गिरी निवासी- नन्दग्राम गाजियाबाद ने थाने आकर एक लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात चोरो द्वारा 02 मोबाइल XIAOMI POCO सी -85 एक्स 5 जी रंग सफेद मय चार्जर व डाटा केवल, ए-26 सेन्ट्रल वेयर हाउस कम्पाउण्ड में स्थित ब्लू हार्ड कोरियर कम्पनी से ही चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 07.07.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम श्री खाटू श्याम इंडस्ट्री पार्क के पास चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अनुज कश्यप पुत्र संजीव कश्यप निवासी D-34A रेलवे कॉलोनी आवास विकास थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ उम्र करीब 26 वर्ष को मय 02 मोबाइल XIAOMI POCO सी- 85 एक्स 5 जी रंग सफेद मय चार्जर व डाटा केवल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 3(5),317(2) बीएनएस बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं ए-26 सेन्ट्रल वेयर हाउस कम्पाउण्ड में स्थित ब्लू हार्ड कोरियर कम्पनी में 7-8 महीने से कोरियर ब्वाय काम करता था। मुझे कुछ पैसों की जरुरत थी इसलिये मैनें कोरियर ले जाते समय मोबाइल का एक बॉक्स जिसमें 20 मोबाइल थे। मैनें बड़े बॉक्स के नीचे गाड़ी में छुपाकर लोड कर लिया था। जिसमें से 02 मोबाइल मैनें ले लिये थे। बाकी के मोबाइल मेरे साथी ड्राइवर के पास है। दोनों मोबाइल को लेकर श्री खाटू श्याम इंडस्ट्री पार्क के पास बेचने के लिये खड़ा था कि तभी आप लोगो नें मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- अभियुक्त अनुज कश्यप पुत्र संजीव कश्यप निवासी D-34A रेलवे कॉलोनी आवास विकास थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- 02 मोबाइल XIAOMI POCO सी -85 एक्स 5 जी रंग सफेद, चार्जर व डाटा केवल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 07.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त मोहम्मद सफीक पुत्र छोटे खान सलमानी निवासी सेक्टर- 23 थाना-मधुवन बापूधाम, गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 317(2), 317(5), 345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैनें काफी दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी जिस पर मैंने पकडे जाने से बचने के लिये गलत नम्बर प्लेट लगा रखी थी तथा इसी मोटरसाइकिल से मैं कभी-कभी टप्पेबाजी भी करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मोहम्मद सफीक पुत्र छोटे खान सलमानी निवासी सेक्टर- 23 थाना-मधुवन बापूधाम, गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना साहिबाबाद में 01 अभियोग एक्सीडेंट का पंजीकृत है।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित 25,000/- इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण:

दिनांक 07.07.2026 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा **गैंगस्टर एक्ट का वांछित 25,000/- इनामी अभियुक्त** करन सिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह **स्थाई पता:** गुरुधाम कॉलोनी, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी (बनारस) **वर्तमान पता:** पंचशील कॉलोनी, थाना बिसरख, गौतम बुद्ध नगर **उम्र:** करीब 22 वर्ष को को होटल मेला प्लाजा के पास, सर्विस रोड (आरडीसी चौकी क्षेत्र, सेक्टर-3 राजनगर) से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण:

उपरोक्त मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के अथक प्रयास, लोकल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सेल व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 07.07.2026 को गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000/- रुपये के इनामी अभियुक्त करन सिंह को होटल मेला प्लाजा के पास, सर्विस रोड (आरडीसी चौकी क्षेत्र, सेक्टर-3 राजनगर) से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह कविनगर व मधुबन बापूधाम क्षेत्रों में अपना गैंग बनाकर चोरी व छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता है और इसी के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

नाम: करन सिंह (पुत्र श्री दिनेश सिंह)
स्थाई पता: गुरुधाम कॉलोनी, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी (बनारस)
वर्तमान पता: पंचशील कॉलोनी, थाना बिसरख, गौतम बुद्ध नगर
उम्र: करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त करन सिंह):

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के 03 अभियोग।
गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग।
कुल 04 अभियोग पंजिकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना कविनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे. रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अपराधी का नाम	थाना	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	अंकुर पुत्र महेश नि0 नंगला फिरोजमोहनपुर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष	नन्दग्राम	10
2	राजेश पुत्र रामगोपाल नि0 म0नं0 2239/5 गली नं0 05 पार्वती धर्मशाला के पीछे घूकना थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	नन्दग्राम	2
3	कालूखान उर्फ कल्लू पुत्र यामीन नि0 प्लॉट नं0 01 एल 1 खसरा नं0 1141 नूर शान्ति नगर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	नन्दग्राम	2
4	शाहरुख पुत्र यामीन नि0 प्लॉट नं0 01 एल 1 खसरा नं0 1141 नूर शान्ति नगर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 48 वर्ष	नन्दग्राम	3

5	आकाश पाल पुत्र मुकेश पाल नि0 म0नं0 56 गली नं0 03 त्यागी डेयरी के सामने वाली घूकना थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 25 वर्ष	नन्दग्राम	3
6	अंकित उर्फ टीका जाट पुत्र नरेन्द्र चौधरी नि0 म0नं0 541 भूमिया वाली गली ग्राम सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद। उम्र 27 वर्ष	मधुबन बापूधाम	5
7	आदेश त्यागी पुत्र किरन चन्द्र उर्फ किन्नू नि0 ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद। उम्र 40 वर्ष	मधुबन बापूधाम	4
8	लक्की पुत्र रोहताश नि0 गली नं0 09 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 20 वर्ष	विजयनगर	3
9	विवेक पुत्र करण सिंह नि0 उपरी तरकोला थाना धामपुर बिजनौर हाल पता म0नं0 284 एच ब्लॉक तिकोना पार्क थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	विजयनगर	8
10	गिरीश पुत्र राजेश कुमार नि0 276/310 शिब्बनपुरा पटेलनगर द्वितीय थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद। उम्र 25 वर्ष	सिहानीगेट	2

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा ट्यूबवेलों से चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये कॉपर व सिल्वर के तार बरामद।

आज दिनांक 07.07.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री गंगाबल व अन्य के द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा उनकी 04 ट्यूबवैलों से ताला तोडकर बिजली का सामान व तार आदि चोरी कर ले जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 331(4)/305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.प्रिन्स पुत्र मुकेश निवासी फफराना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. अमन पुत्र सुनील निवासी वेद विहार फफराना थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 3. देव पुत्र सुरजीत निवासी ब्रह्मपुरी कस्बा मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से संबंधित चोरी का सामान बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 3(5), 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि यह जो चोरी का सामान हमसे बरामद हुआ है। ये हमने गाँव फफराना में स्थित खेतों की ट्यूबवेलों का ताला तोड़कर बिजली के तार, कॉपर के तार व स्टार्टर आदि सभी चोरी कर लिये थे। जल्दबाजी में हमने यह सामान श्याम सिटी कॉलोनी में ग्रीन चैम्बर के पीछे खाली प्लाट में झाडियों में छुपा दिया था। इसमे से कुछ सामान

हमने यहाँ से उठाकर राह चलते-फिरते व्यक्तियों को बेच दिया था। इससे जो पैसे हमें मिले थे वह हमसे खर्च हो गये। शेष सामान को आज हम यहाँ से उठाकर बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.प्रिन्स पुत्र मुकेश निवासी फफराना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

2. अमन पुत्र सुनील निवासी वेद विहार फफराना थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष ।

3. देव पुत्र सुरजीत निवासी ब्रह्मपुरी कस्बा मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी का सामान कॉपर का जला हुआ तार 430 ग्राम, सिल्वर का जला हुआ तार 01 किलो 175 ग्राम, मोटर की क्वाईल कॉपर की 05 किलो 430 ग्राम, 03 कटे हुए केबिल के टुकडे 970 ग्राम बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।